न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूँ जयपुर

पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संघ अभियान 2021

प्रार्थना पत्र संख्या...113/21

सरकार **बनाम** **अशोक वगैरह**

अन्तर्गत धारा 131,132 एल0 आर0 एक्ट 1956

2021/388

निर्णय दिनांक:–

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार चौमूँ द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 के कैम्प मण्डा भिण्डा में रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतू ग्राम मण्डा भिण्डा तहसील चौमूँ के निम्नांकित प्रकरण में मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्सा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित भूमि पर मौके पर चालू सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग में आना बताया जाकर प्रकरण अर्न्तगत धारा 131,132 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण प्रेषित किया है, रिपोर्ट तहसीलदार एवं संरपच ग्राम मण्डा भिण्डा के अवलोकन से मौके पर स्थाई रूप से आम रास्ता चालू होने का समाधान होने पर प्राथर्ना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0– भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58,59,60,66 व 86 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजसथान सरकार के परिपत्र कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण के अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्राम की भूमि में से (मुताबिक एनक्सर–1 व नजरी नक्सा ट्रेस) अनुसार किस्म गै.मू. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खातेदारी भूमि में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते है।

क0स0	नाम राजस्व ग्राम	ख.न.	कुल रकबा (हैक्ट0 में)	किस्म	रास्ते दर्ज हेतु स्वीकृत रकबा (वर्गमीटर में)	वि.वि
1.	मण्डा भिण्डा	529/1	0.11	बारानी1	1100	

उक्तानुसार निजी खातेदारी में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता संबधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित गै0मू0 रास्ता दर्ज किया जावेगा ।

निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हेतू तहसीलदार चौमूँ को आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील [illegible]

निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को सरे [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.06 18:09:43 IST
Reason: SelfAttested

कैम्प प्रभारी [illegible] अधिकारी
एवं उपखण्ड [illegible]
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with CamScanner